

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(राजस्व भाखा)

## —:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::—

परियोजना पदाधिकारी, सी0सी0एल0 भुरकुण्डा ओ0सी0पी0 द्वारा अधियाचना एवं दिनांक- 17.06.2019 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में FRA के तहत निर्गत NOC के आलोक में रामगढ़ जिला के अंचल पतरातु अन्तर्गत मौजा बलकुदरा में बलकुदरा खुली खदान परियोजना का निर्माण किया जाना है। उक्त परियोजना निर्माण हेतु चिन्हित गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी भूमि 1.72 हेक्टेयर निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र। गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र0स0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	किस्म जमीन
1	पतरातु	बलकुदरा	26	82	1277	2.36	गै0 जंगल-झाड़ी
2	पतरातु	बलकुदरा	26	82	1285	1.88	गै0 जंगल-झाड़ी
कुल -						4.24	

कुल रकबा 1.72 हे0 (4.24 एकड़) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अपर समाहर्ता,  
रामगढ़।

उपायुक्त,  
रामगढ़।